प्रेषक,

शिक्षा निदेशक(बेसिक),
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक),
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकःशि०नि०(बे०)/खेल/ 10782-964 /2024-25 दिनांक09 मई 2024

विषयःशैक्षिक सत्र 2024-25 में विद्यालय स्तर से प्रदेश स्तर तक बालक-बालिकाओं के खेलकूद कार्यक्रमों एवं प्रतियोगिताओं के आयोजन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

शैक्षिक सत्र 2024-25 में विद्यालयों के छात्र-छात्राओं की विद्यालय स्तर से प्रदेश स्तर तक की खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना है। विद्यालय स्तर से प्रदेश स्तर तक की खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु समय-सारिणी निम्नवत् है-

क्र०सं०	खेल प्रतियोगिता	विद्यालय स्तर	न्याय पंचायत स्तर	विकासखण्ड स्तर	जनपद स्तर	मण्डल स्तर	प्रदेश स्तर
1	हॉकी (जूनियर बालक/ बालिका)	जुलाई तृतीय सप्ताह	जुलाई चतुर्थ सप्ताह	अगस्त प्रथम सप्ताह	अगस्त द्वितीय सप्ताह	अगस्त तृतीय सप्ताह	दिनांक 30 नवम्बर 2024 तक
2	तैराकी (जूनियर बालक/ बालिका)	जुलाई चतुर्थ सप्ताह	अगस्त प्रथम सप्ताह	अगस्त द्वितीय सप्ताह	अगस्त तृतीय सप्ताह	अगस्त चतुर्थ सप्ताह	
3	कुश्ती (बालक/बालिका)	अगस्त प्रथम सप्ताह	अगस्त द्वितीय सप्ताह	अगस्त तृतीय सप्ताह	अगस्त चतुर्थ सप्ताह	सितम्बर प्रथम सप्ताह	
4	हैण्डबाल (जूनियर बालक /बालिका)	अगस्त प्रथम सप्ताह	अगस्त द्वितीय सप्ताह	अगस्त तृतीय सप्ताह	अगस्त चतुर्थ सप्ताह	सितम्बर प्रथम सप्ताह	
5	वालीबाल (जूनियर बालक /बालिका)	अगस्त द्वितीय सप्ताह	अगस्त तृतीय सप्ताह	अगस्त चतुर्थ सप्ताह	सितम्बर प्रथम सप्ताह	सितम्बर द्वितीय सप्ताह	
6	बैडमिण्टन एवं टेबल टेनिस (जूनियर	अगस्त द्वितीय	अगस्त तृतीय	अगस्त चतुर्थ	सितम्बर प्रथम	सितम्बर द्वितीय	

Scanned with CamScanner

	बालक / बालिका)	सप्ताह	सप्ताह	सप्ताह	सप्ताह	सप्ताह	
7	फुटबाल (जूनियर बालक / बालिका)	अगस्त द्वितीय सप्ताह	अगस्त तृतीय सप्ताह	अगस्त चतुर्थ सप्ताह	सितम्बर प्रथम सप्ताह	सितम्बर द्वितीय सप्ताह	
8	जूडो (बालक / बालिका)	अगस्त तृतीय सप्ताह	अगस्त चतुर्थ सप्ताह	सितम्बर प्रथम सप्ताह	सितम्बर द्वितीय सप्ताह	सितम्बर तृतीय सप्ताह	
9	बास्केटबाल (जूनियर बालक / बालिका)	अगस्त चतुर्थ सप्ताह	सितम्बर प्रथम सप्ताह	सितम्बर द्वितीय सप्ताह	सितम्बर तृतीय सप्ताह	सितम्बर चतुर्थ सप्ताह	
10	खो–खो (प्राथमिक / जूनियर बालक / बालिका)	सितम्बर प्रथम सप्ताह	सितम्बर द्वितीय सप्ताह	सितम्बर तृतीय सप्ताह	सितम्बर चतुर्थ सप्ताह	अक्टूबर प्रथम सप्ताह	
11	एथलेटिक्स (प्राथमिक / जूनियर बालक / बालिका)	सितम्बर प्रथम सप्ताह	सितम्बर द्वितीय सप्ताह	सितम्बर तृतीय सप्ताह	सितम्बर चतुर्थ सप्ताह	अक्टूबर प्रथम सप्ताह	
12	जिमनास्टिक (बालक / बालिका)	सितम्बर द्वितीय सप्ताह	सितम्बर तृतीय सप्ताह	सितम्बर चतुर्थ सप्ताह	अक्टूबर प्रथम सप्ताह	अक्टूबर द्वितीय सप्ताह	
13	क्रिकेट (जूनियर बालक / बालिका)	सितम्बर तृतीय सप्ताह	सितम्बर चतुर्थ सप्ताह	अक्टूबर प्रथम सप्ताह	अक्टूबर द्वितीय सप्ताह	अक्टूबर तृतीय सप्ताह	
14	कबड्डी (प्राथमिक / जूनियर बालक / बालिका)	सितम्बर चतुर्थ सप्ताह	अक्टूबर प्रथम सप्ताह	अक्टूबर द्वितीय सप्ताह	अक्टूबर तृतीय सप्ताह	अक्टूबर चतुर्थ सप्ताह	
15	ताइक्वाण्डो (बालक / बालिका)	सितम्बर चतुर्थ सप्ताह	अक्टूबर प्रथम सप्ताह	अक्टूबर द्वितीय सप्ताह	अक्टूबर तृतीय सप्ताह	अक्टूबर चतुर्थ सप्ताह	
16	योगासन (बालक / बालिका)	अक्टूबर प्रथम सप्ताह	अक्टूबर द्वितीय सप्ताह	अक्टूबर तृतीय सप्ताह	अक्टूबर चतुर्थ सप्ताह	नवम्बर प्रथम सप्ताह	
17	व्यायाम एवं विशेष प्रदर्शन	अक्टूबर द्वितीय	अक्टूबर तृतीय	अक्टूबर चतुर्थ	नवम्बर प्रथम	नवम्बर द्वितीय	

Scanned with CamScanner

	/समूहगान/ अन्त्याक्षरी /राष्ट्रीय एकांकी/ लोकगीत/लोकनृत्य	सप्ताह	सप्ताह	सप्ताह	सप्ताह	सप्ताह	

इस क्रम में आपको निम्नांकित निर्देश दिये जा रहे हैं–

1. इस कार्यालय के पत्रांक– शि०नि०(बे०)/खेल/9155–9408/2024–25 दिनांक 03.05.2024 द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में खेलकूद कार्यक्रमों एवं प्रतियोगिताओं हेतु धनराशि आवंटित की गई है, जिसमें विकासखण्ड स्तर पर आवंटित धनराशि का 5 प्रतिशत विद्यालय स्तर, 20 प्रतिशत संकुल(न्याय पंचायत स्तर) तथा शेष 75 प्रतिशत विकासखण्ड स्तर की खेलकूद कार्यक्रमों तथा प्रतियोगिताओं तथा सम्बन्धित व्यय पर वहन किया जाये।
2. जनपद स्तर पर चयनित टीम की सूचना निम्नांकित प्रारूप पर उपलब्ध करायें–

क्र०सं०	टीम का विवरण	छात्र/छात्रा का नाम	विद्यालय का नाम	यू–डायस कोड	अभिभावक का नाम	अभिभावक का मो०नं०

3. जनपद/मण्डल स्तर की खेलकूद कार्यक्रम एवं प्रतियोगितायें निर्धारित समयावधि में सम्पन्न करा लीं जायें, जिससे बेसिक शिक्षा विभाग के छात्र/छात्राएं, माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर सकें।
4. खेलकूद को विद्यालयी गतिविधियों में प्रतिदिन सम्मिलित करते हुए सप्ताह में प्रथम 4 दिन खेलकूद एवं व्यायाम तथा अन्तिम 02 दिन स्काउट की गतिविधियों का नियमित आयोजन कराया जाये।
5. जनपदों को खेल सामग्री क्रय किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा प्रति प्राथमिक विद्यालय रू० 5,000 तथा प्रति उच्च प्राथमिक विद्यालय रू० 10,000 की दर से धनराशि पूर्व में उपलब्ध कराई गई है। उक्त धनराशि से क्रय की गई खेल सामग्री का यथोचित प्रयोग किया जाए।
6. खेल परिसर के रूप में विकसित विद्यालयों की खाली पड़ी भूमि को खेलकूद गतिविधियों हेतु यथा आवश्यक रूप से प्रयोग किया जाये।
7. सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों द्वारा अपने विद्यालय के यू–डायस कोड के साथ एक ईमेल आई०डी० बनायी जाये तथा "खेलो इण्डिया एप" को डाउनलोड कर Principal/HM Login:schoolfitness.kheloindia.gov.in Create/Login with your User Name and Password में पंजीकरण किया जाये, साथ ही बच्चों का Assessment Test प्रारम्भ करके 'खेलो इण्डिया ऐप' पर अपलोड करायें।
8. जहाँ शारीरिक शिक्षा अनुदेशक तैनात नहीं हैं, वहाँ खेलों में रूचि रखने वाले शिक्षक को नामित कर उक्त कार्य सम्पन्न कराया जाये। यदि उपरोक्त कार्य को सम्पन्न कराने में किसी प्रकार की समस्या आती है, तो जनपदवार/ब्लाकवार प्रशिक्षण आयोजित कराते हुए SAI द्वारा प्रशिक्षित किये गये Master Trainers की सहायता से सम्बन्धित को प्रशिक्षण दिलाया जाये, जिससे उपरोक्त कार्य सुगमता पूर्वक सम्पादित कराया जा सके। साथ ही जिन विद्यालयों में Apparatus की आवश्यकता हो, वहाँ उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा उपलब्ध करा दिया जाये।
9. यथा आवश्यक खेल विभाग के क्षेत्रीय/जिला क्रीड़ा अधिकारियों तथा खेल प्रशिक्षकों, Master Trainers का अपेक्षित सहयोग लिया जाये।
10. स्कूल में नामांकित सभी बच्चों का पूर्ण विवरण Excel Sheet पर विद्यालय स्तर से ही तैयार किया जाये। खेलकूद प्रतियोगिताओं हेतु विद्यालय स्तर से ही बच्चों का चयन करते हुए आवश्यक प्रविष्टियां अंकित की जायें। यह शीट मूल दस्तावेज की तरह प्रयोग की जाएगी।

Scanned with CamScanner

विभिन्न खेलों के लिए चयनित बच्चों के नाम के आगे "चयनित" लिखा जाए तथा चयनित बच्चों को खेल प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जाए। शेष बच्चों को अपने–अपने स्तर पर, अपनी पसन्द के खेलकूद में नियमित रूप से प्रतिभाग कराया जाए।

11. बच्चों को मात्र खेल रैली हेतु तैयार करने के स्थान पर खेलों पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाये। रैली खेलों का प्रदर्शन मात्र है। बच्चों की रूचि को ध्यान में रखते हुए कक्षा 1 से 8 तक प्रत्येक बच्चा किसी न किसी खेल से अवश्य जुड़े तथा प्रत्येक बच्चे को खेलने का अवसर मिले।

12. टीम के खेलों में प्रायः देखने में आता है कि या तो एक विद्यालय/विकासखण्ड अथवा एक ही जनपद की टीम राज्य स्तर के खेलों में प्रतिनिधित्व करती है, जबकि मण्डल स्तर की टीम को पूरे मण्डल का प्रतिनिधित्व खिलाड़ियों के रूप में करना चाहिए। यह सिद्धान्त प्रत्येक स्तर पर लागू होता है। मण्डल स्तर पर सभी जनपदों के खेल–विशेष के बेहतरीन खिलाड़ियों का चयन किया जाना अपेक्षित है। जनपद की टीम में सभी विकासखण्ड के अच्छे खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व तथा विकासखण्ड पर सभी स्कूलों के बेहतरीन खिलाड़ियों का चयन किया जाना होता है। आप सहमत होंगे कि यह प्रक्रिया सभी अच्छे उभरते खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए समान अवसर प्रदान करती है। चयन की प्रक्रिया "ट्रायल" विधि पर आधारित होगी। कृपया ट्रायल के लिए विभिन्न खेल एसोसिएशन के विशेषज्ञ तथा खेल विभाग के अधिकारियों (सेवारत/सेवानिवृत्त) को आमन्त्रित किया जाए। इस चयन प्रक्रिया में यह भी सम्भव है कि उपविजेता टीम का भी कोई अच्छा खिलाड़ी राज्य स्तर पर टीम में सम्मिलित हो सके।

13. इंडीविजुअल ईवेन्ट्स (एथलेटिक्स आदि) में प्रतिभागी द्वारा प्रतिस्पर्धा को पूर्ण करने (थ्यदपी स्पदम) का समय अंकित होना चाहिए तथा स्पर्धा में "व्यक्तिगत बेस्ट" का रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखा जाए। यह उपलब्धि बच्चों के पूर्ण विवरण वाली शीट में अंकित की जाये।

14. खेलकूद प्रतियोगिताओं की फोटोग्राफ्स में प्रतिभागी बच्चों की एक्शन फोटो आदि का विशेष ध्यान रखा जाये। खेलकूद की क्रियाओं का फोटो डॉक्यूमेन्टेशन भी किया जाना आवश्यक है। वीडियो तथा फोटो आदि आवश्यक रूप से तैयार किए जायें। विद्यालय/न्याय पंचायत/विकासखण्ड/ जनपद तथा मण्डल यू–ट्यूब पर अपना चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।

15. विद्यालय स्तर से राज्य स्तर तक की समस्त खेलकूद प्रतियोगिताओं में खेल एसोसिएशन के विशेषज्ञ तथा खेल विभाग के अधिकारियों (सेवारत/सेवानिवृत्त) को आमन्त्रित किया जाये। अपने क्षेत्र के अच्छे खिलाड़ियों को आमन्त्रित करें, इससे छात्रों को प्रेरणा मिलती है।

16. अण्डर–11/14 से अधिक आयु के बच्चों को खेलकूद प्रतियोगिताओं में कदापि शामिल न किया जाये। इस हेतु विशेष सावधानी रखी जानी होगी, आवश्यकता पड़ने पर मेडिकल बोर्ड की मदद ली जानी चाहिए।

17. दिव्यांग बच्चों को चिन्हित करते हुए विकासखण्ड एवं जनपद स्तर पर अलग से प्रतियोगिताएं आयोजित कराईं जाएं।

18. इस बात का ध्यान रखा जाये कि खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन के उपरान्त उनके निर्णय (रिजल्ट) में किसी भी प्रकार की ओवर्राइटिंग/कटिंग न की जाये।

19. आयुवर्ग व खेलों का निर्धारण संलग्नक–01 पर किया गया है।

20. खेलों के अतिरिक्त अन्य कार्यक्रमों व प्रदर्शन से सम्बन्धी निर्देश संलग्नक–02 में दिये गये हैं।

21. पात्रता सम्बन्धी व अन्य निर्देश संलग्नक–03 में दिये गये हैं।

22. स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया के लिए जन्मतिथि एस०आर० रजिस्टर के अनुसार तथा जन्म प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी (नगर निगम, नगर महापालिका, नगर पालिका अथवा खण्ड विकास अधिकारी) के स्तर से निर्गत किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है अतः जनपद स्तर पर आयोजित होने वाली समस्त प्रतियोगिताओं में उन्हीं खिलाड़ियों को शामिल किया जाये,

Scanned with CamScanner

जिनका जन्म प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड बना हो तथा विद्यालय स्तर पर जेनरेट की गई यूनीक आई डी (प्रेरणा पोर्टल पर) होना अनिवार्य है।

23. बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु खेलकूद अत्यन्त आवश्यक है, इस हेतु बच्चों को अधिक से अधिक अवसर प्रदान किया जाए।
24. आप अवगत हैं कि महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचन्द्र की जयन्ती 29 अगस्त को 'राष्ट्रीय खेल दिवस' के रूप में मनायी जाती है। इस दिन विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में विजयी बच्चों को पुरस्कृत किया जाय, साथ ही उक्त जयन्ती को उत्सव के रूप में मनाया जाये।
25. खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन/व्यवस्था आदि में कोविड–19 के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

अतः आपसे अपेक्षा है कि उपरोक्त निर्देशों के अनुसार, अपने जनपद में खेलकूद कार्यक्रम एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन ससमय कराना सुनिश्चित करें तथा यह भी ध्यान रखा जाय कि किसी मण्डल की टीम राज्य स्तरीय खेलकूद कार्यक्रम एवं प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने से वंचित न रह जाये।

संलग्नकः उक्तवत्।

भवदीय,

(प्रताप सिंह बघेल)
शिक्षा निदेशक(बेसिक)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ०सं०:शि०नि०(बे०)/खेल/10702-964/2024–25 तद्दिनांक ।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा, शिक्षा अनुभाग–5 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
3. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, लखनऊ।
4. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद्, प्रयागराज। ।
8. निदेशक, खेल, उत्तर प्रदेश, खेल भवन, लखनऊ।
9. अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक/माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
10. वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा (निदेशालय/परिषद), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
11. वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(बेसिक/माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश, (द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी)।

(प्रताप सिंह बघेल)
शिक्षा निदेशक(बेसिक)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

Scanned with CamScanner

संलग्नक–01

खेलों में प्रतिभागिता हेतु आयु एवं पात्रता का निर्धारण

1– प्राथमिक स्तर (6 से 11 आयु वर्ग) –

क. प्रतिभागी बालक/बालिकाओं की जन्मतिथि 31.12.2013 के बाद की होनी चाहिए।

ख. आयु एवं पहचान प्रमाण पत्र के रूप में जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, यूनीक आईडी नम्बर (प्रेरणा पोर्टल) ही मान्य होगा।

2– पूर्व माध्यमिक स्तर (11 से 14 आयु वर्ग) –

क. प्रतिभागी बालक/बालिकाओं की जन्मतिथि 31.12.2010 के बाद की होनी चाहिए।

ख. आयु एवं पहचान प्रमाण पत्र के रूप में जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, यूनीक आईडी नम्बर (प्रेरणा पोर्टल) ही मान्य होगा।

नोट–प्रतिभागी के 28 दाँत से अधिक होने पर कदापि प्रतिभाग नहीं कराया जायेगा।

3– राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के परिषदीय तथा अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के सिर्फ वही बच्चे प्रतिभाग करेंगे जिन्होंने इन्डीविजुअल/टीम ईवेन्ट्स में मण्डल स्तर पर अपनी स्पर्धा में **प्रथम** स्थान प्राप्त किया है।

राज्य स्तरीय खेलों का विवरण

क्र० सं०	खेलों के नाम	प्रतिभागियों की संख्या		प्राथमिक स्तर (6से 11 आयु वर्ग)	जूनियर स्तर (11 से 14 आयु वर्ग)
		बालक	बालिका		
1	50, 100, 200, व 400 मी० दौड़ लम्बी कूद	प्रत्येक स्पर्धा का प्रथम विजेता	प्रत्येक स्पर्धा की प्रथम विजेता	प्राथमिक स्तर	——
2	100, 200, 400, व 600 मी. दौड़, लम्बी कूद, ऊँची कूद, व गोला फेंक एवं चक्का फेक	प्रत्येक स्पर्धा का प्रथम विजेता	प्रत्येक स्पर्धा की प्रथम विजेता	——	जूनियर स्तर
3	4×100 रिले दौड़	प्रथम विजेता 4	प्रथम विजेता 4	——	जूनियर स्तर
4	खो–खो	12	12	प्राथमिक स्तर	जूनियर स्तर

Scanned with CamScanner

5	कबड्डी	12	12	प्राथमिक स्तर	जूनियर स्तर
6	वॉलीवाल	12	12	——	जूनियर स्तर
7	फुटबॉल	16	16	———	जूनियर स्तर
8	हैण्डबॉल	12	12	———	जूनियर स्तर
9	बास्केटबॉल	12	12	———	जूनियर स्तर
10	हॉकी	16	16	———	जूनियर स्तर
11	क्रिकेट	16	16	———	जूनियर स्तर
12	बैड मिन्टन सिंगल व डबल	4	4	———	जूनियर स्तर
13	टेबिल टेनिस सिंगल व डबल	4	4	———	जूनियर स्तर
14	जिम्नास्टिक	5	5	मण्डल स्तर से बालक तथा बालिका की एक–एक टीम	
15	योगासन आसन– गरूणासन, पश्चिमोत्तानासन, अर्द्ध मत्स्येन्द्रासन, गोमुखासन, कुक्कुटासन, बकासन, अकर्ण धनुरासन, उष्ट्रासन, सर्वांगासन, चक्रासन। निर्णय व अंक – आसन की प्रारम्भिक स्थिति में आना –1 अंक। आसन की पूर्ण स्थिति पर पहुँचना –4 अंक। बिना तनाव व हिले आसन की पूर्ण स्थिति में रहना –2 अंक। आसन को निर्धारित समय (30 सेकेण्ड) तक रोकना –2 अंक आसन की प्रारम्भिक स्थिति में वापस आना –1 अंक।	6	6	मण्डल स्तर से बालक तथा बालिका की एक–एक टीम नोट– निर्धारित समय का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।	
16	तैराकी	4	4	———	जूनियर स्तर
17	कुश्ती	वजन 25 + किग्रा, 30–35, 35–40, 40–45, व 45 + किग्रा (प्रत्येक भार–वर्ग में मण्डल			(बालक–बालिका)

Scanned with CamScanner

		स्तर से एक–एक प्रतिभागी प्रतिभाग करेगा)।	
18	जूडो	वजन 20 + किग्रा, 25–30, 30–35 35–40, व 44 + किग्रा (प्रत्येक भार–वर्ग में मण्डल स्तर से एक–एक प्रतिभागी प्रतिभाग करेगा)।	(बालक–बालिका)
19	ताइक्वाण्डो	वजन 25+ किग्रा, 30–35, 35–40, 40–45, 45 + किग्रा (प्रत्येक भार–वर्ग में मण्डल स्तर से एक–एक प्रतिभागी प्रतिभाग करेगा)।	(बालक–बालिका)

नोट–

1. विद्यालय स्तर पर तैयार की गयी शीट पर स्तरवार चयनित बच्चों की सूची हस्ताक्षरित होनी चाहिए।
2. टीम ट्रायल के आधार पर चयनित होनी चाहिए।
3. बालक एवं बालिकाओं के लिए प्रतियोगिताएं पृथक–पृथक अर्थात बालक वर्ग व बालिका वर्ग में होंगी।
4. गोले का वजन बालिकाओं हेतु 08 पौण्ड व बालकों के लिए 12 पौण्ड तथा डिस्क का वजन बालिकाओं हेतु 01 किलोग्राम व बालकों हेतु 1.50 किलोग्राम होगा।
5. एथलेटिक्स में एक प्रतिभागी केवल 3 इवेन्ट्स में ही खेलों में प्रतिभाग कर सकता है।
6. टीम चैम्पियनशिप हेतु अंकों का निर्धारण–
   प्रथम स्थान– 10 अंक
   द्वितीय स्थान–06 अंक
   तृतीय स्थान– 03 अंक
7. व्यक्तिगत चैम्पियनशिप हेतु अंकों का निर्धारण–
   प्रथम स्थान– 05 अंक
   द्वितीय स्थान–03 अंक
   तृतीय स्थान– 01 अंक

Scanned with CamScanner

संलग्नक–02

खेलों के अतिरिक्त अन्य कार्यक्रम व प्रदर्शन

1. **व्यायाम (पी.टी.)**– 16 प्रतिभागियों की केवल एक टीम ही प्रतिभाग करेगी जिसमें निर्धारित पी.टी. व लेजिम एवं डम्बल के अतिरिक्त अन्य प्रदर्शन मान्य नहीं होंगें। (अधिकतम समय 10 मिनट होगा)
2. **राष्ट्रीय एकांकी**– 08 प्रतिभागियों की केवल एक टीम प्रतिभाग करेगी जिसमें राष्ट्रीय भावना से प्रेरित एकांकी ही मान्य होगी। (अधिकतम समय 08 मिनट होगा)
3. **लोक गीत/लोक नृत्य**– 08 प्रतिभागियों की केवल एक टीम प्रतिभाग करेगी जिसमें राष्ट्रीय भावना तथा देश भक्ति के गीत–गान ही मान्य होगा। वाद्य यंत्रों का प्रयोग प्रतिभागियों द्वारा ही किया जायेगा (अधिकतम समय 05 मिनट होगा)।

Scanned with CamScanner

संलग्नक–03

पात्रता प्रमाण पत्र

पात्रता सम्बन्धी प्रमाण पत्र में सभी प्रतिभागियों के आधारकार्ड एवं जन्म प्रमाण–पत्र की फोटोकॉपी संलग्न करना अनिवार्य है। जन्म प्रमाण–पत्र किसी सक्षम अधिकारी (नगर निगम, नगर महापालिका, नगर पालिका अथवा खण्ड विकास अधिकारी) के स्तर से निर्गत किया गया हो। प्राथमिक स्तर के खेलों में 06 से 11 आयु वर्ग तथा उच्च प्राथमिक स्तर के खेलों में 11 से 14 आयु वर्ग के प्रतिभागियों को ही प्रतिभाग कराया जाये।

पात्रता प्रारूप–

मण्डल का नाम –
जनपद का नाम–
विकासखण्ड का नाम–
विद्यालय का नाम–

प्रतिभागी का नाम		खेल का नाम	
व्यक्तिगत या सामूहिक		वर्ग(बालक / बालिका)	
अभिभावक का नाम एवं मो०नं०		कक्षा	
जन्मतिथि(एस०आर० रजिस्टर के अनुसार)		जन्म प्रमाण पत्र जारीकर्ता का पदनाम	
प्रवेशांक नं०		यूनीक आईडी नं० (प्रेरणा पोर्टल पर जेनरेटेड)	
आधार कार्ड संख्या		पहचान चिन्ह	
प्रधानाध्यापक का नाम एवं मोबाइल नं०–			

प्रतिभागी छात्र / छात्रा की नवीनतम फोटो प्र०अ० द्वारा प्रमाणित

हस्ताक्षर
प्रतिभागी

हस्ताक्षर / मोहर
प्रधानाध्यापक

Scanned with CamScanner

नोट–

- समस्त चयनित खिलाड़ी बच्चों की प्रतियोगिता के प्रत्येक स्तर/चरण के आधार पर एक Excel Sheet हस्ताक्षरित होनी चाहिए।
- पात्रता प्रमाण–पत्र **तीन–तीन प्रतियों** में भरा जायेगा, पात्रता प्रमाण पत्र में प्रतिभागी की फोटो **प्रधानाध्यापक द्वारा सत्यापित** होनी चाहिए।
- पात्रता प्रमाण पत्र मूल रूप से **मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित** होना अनिवार्य है।
- पात्रता प्रमाण पत्र पर सत्यापित फोटो चिपका होना चाहिए। पिन या स्टेपलर मान्य नहीं होगा तथा पात्रता की फोटो कापी स्वीकार नहीं होगा।
- किसी भी स्तर पर कृते के रूप में किये गये हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे। प्रमाण–पत्र पर प्रतिभागी, प्रधानाध्यापक, खण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) के हस्ताक्षर व मोहर होना अनिवार्य है।
- पात्रता प्रमाण पत्र का निर्गमन रजिस्टर रखा जाये। जिसमें पात्रता के सभी बिन्दु अंकित किये जाये और पात्रता प्रमाण पत्र के ऊपर निर्गमन रजिस्टर के क्रमांक को अंकित किया जायेगा।
- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यह भी सुनिश्चित करे कि प्रत्येक प्रतिभागी का **स्वास्थ्य परीक्षण/आयु परीक्षण सम्बन्धित सी.एम.ओ. से अवश्य करा लिया जाये, तथा राज्य स्तर पर बिना स्वास्थ्य/आयु प्रमाण पत्र के किसी भी प्रतिभागी को प्रतिभाग न करायें**। यह भी सुनिश्चित कर लें कि पात्रता प्रमाण–पत्र में जो आयु का उल्लेख किया गया है वह प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर सही हैं कि नहीं।
- आयु भिन्न पाये जाने पर गलत प्रमाण–पत्र निर्गत करने के उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों को कठोर दण्ड दिया जायेगा। और यदि किसी प्रतिभागी की पात्रता अन्य आधार पर गलत पायी जाती है तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।
- प्रतियोगिता में केवल परिषदीय तथा अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के बच्चों को ही प्रतिभाग कराया जाये।

नोट–कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय, मान्यता प्राप्त विद्यालय एवं स्पोर्ट्स कालेजों के बच्चों को इनमें सम्मिलित न किया जाये, क्योंकि इन विद्यालयों के राज्य स्तरीय खेल अलग आयोजित होते हैं।

(ii) **पात्रता एवं प्रतिभागिता सूची (संलग्न प्रारूप पर) सम्बन्धित आयोजक मण्डल** को उपलब्ध करायें।

Scanned with CamScanner

मण्डल का नाम	सदस्यों की संख्या	अभ्युक्ति
	टीम प्रभारी–01 सह प्रभारी –प्रत्येक जनपद से अधिकतम 02	1. सह प्रभारी (महिला एवं पुरूष) की कुल संख्या मण्डल के जनपदों की संख्या के दोगुने से अधिक नहीं होगी। उदाहरण के तौर पर यदि किसी मण्डल में 5 जनपद हैं तो 05×02=10 सह प्रभारी तथा 01 टीम प्रभारी अर्थात कुल 11 सदस्य होंगे। 2. एक अथवा दो महिला सह प्रभारी अवश्य हों। 3. सभी सदस्यों का **परिचय पत्र** निम्नांकित **प्रारूप** पर सम्बन्धित मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा जारी किया जायेगा।
		प्रारूप परिचय पत्र नाम एवं पदः पिता का नामः विद्यालय का नामः मो०नं० जनपदः मण्डलः खेल का नामः ह०: जि०बे०शि०अ० म०स०शि०नि०(बेसिक)

नोटः– इसके अतिरिक्त यदि संख्या में वृद्धि होती है तो व्यय वहन सम्बन्धित मण्डल/जनपद द्वारा किया जाएगा।

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि उक्त दिशा–निर्देशों का व्यापक प्रचार–प्रसार करते हुए कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें जिससे किसी छात्र/छात्रा या अध्यापक को शिकायत का मौका न मिले कि उन्हें दिशा–निर्देशों की जानकारी नहीं दी गयी है। खेलकूद के सम्बन्ध में किसी बच्चे तथा उनके वर्ग(बालक एवं बालिका) के साथ विभेद एवं पक्षपातपूर्ण रवैया कदापि अपनाया नहीं जायेगा। राज्य स्तर पर मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा ही टीमों को भेजा जायेगा तथा मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) स्वयं या उनके द्वारा नामित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को ही राज्य स्तर पर टीमों का इंचार्ज माना जायेगा, लेकिन उन्हें पात्रता प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर का कोई अधिकार नहीं होगा।

Scanned with CamScanner